(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग ४ में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं.एफ.13(2)/99-एल.ए.

दिनाँकः 31 मार्च,1999

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनाँक 31,मार्च,1999 को मिली अनुमित के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

> विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 1999 (दिल्ली अधिनियम संख्या 5, 1999)

दिनाँकः 31 मार्च,1999

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

अधिनियम

वर्ष 1998-99 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 50. वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक

- (1) इस अधिनियम को विनियोग (संख्या-1) अधिनियम 1999 कहा जाए।
- वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त
- 208,65,09,000/-रुपयों का (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो सौ आठ करोड़ पैंसठ लाख नौ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 1998-99 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

				राशी इससे	अधिक नहीं
 ग इया	सेवायें एवं उददेश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
 1	2		3	4	5
	विधान मण्डल	राजस्व	0	400	400
	न्याय प्रशासन	राजस्व	0	13869	13869
	वित्त	राजस्व	0	2	2
5	गृह शिक्षा	राजस्व राजस्व पूंजी	0 1063182 75550	50 1026 0	50 1064208 75550
7	चिकित्सा व जन स्वास्थ्य समाज कल्याण	राजस्व राजस्व पुंजी	400 800 100	257 846 0	657 1646 100
9	उद्योग	राजस्व पूंजी	32734 200	5 0	32739 200
0	विकास	राजस्व पूंजी	400	1853 2600	2253 2600
1	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व पूंजी	839890 700	0	839890 700
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	19145	19145
12	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूंजी	32500	0	32500
	जोड़		2046456	40053	2086509

आर.टी.एल. डिसूजा अवर सचिव (विधायी कार्य)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

No.F.13(2)/99-L.A.

Dated:31.03.1999

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 31st March, 1999 and is hereby published for general Information:-

THE APPROPRIATION (NO.1) ACT, 1999 (Delhi Act No. 5 of 1999)

Dated 31.03.1999

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

to Authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the the National Capital Territory of Delhi for the Services in respect of the financial year 1998-99

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 50th year of the Republic of India as follows:-

SHORT TITLE

1. This Act may be called the Appropriation (No.1) Act, 1999.

ISSUE OF
Rs. 208,65,09,000/from and out of the
Consolidated Fund of the
National Capital Territory
of Delhi for the financial
year, 1998-99

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees two hundred eight crores sixty five lakhs and nine thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 1998-99 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

APPROPRIATION

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SEEDING	SUMS NOT EX				
Tota		Voted by the Legislative Assembly		SERVICES AND PURPOSES	NO.
	4	3	2		1
40	400	0	Revenue	.egislature	1 L
1386	13869	0	Revenue	Administration of Justice	3 A
	2	0	Revenue	inance	4 F
5	50	0	Revenue	Home	5 H
106420	1026	1063182	Revenue	Education	6 E
7555	0	75550	Capital		
65	257	400	Revenue	Medical and Public Health	7 N
164	846	800	Revenue	Social Welfare	8 5
10	0	100	Capital		
3273	5	32734	Revenue	ndustries	9 1
200	0	200	Capital		
225	1853	400	Revenue	Development	10 E
2600	2600	0	Capital		
839890	0	839890	Revenue	Irban Development and	11 L
700	0	700	Capital	Public Works	F
1914	19145	0	Revenue	Public Debt	P
32500	0	32500	Capital	oans to Government Servants	12 L
2086509	40053	2046456		otal	Т

R.T.L. D'SOUZA Under Secretary (L.A)